

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक-वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन)/ /2020, लखनऊ:: दिनांक::अप्रैल 03, 2020

--: आदेश :-

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-515/2020 दिनांक 16.03.2020 द्वारा माह अप्रैल-2020 हेतु गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, झाँसी, अलीगढ़ व फैजाबाद के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 07.04.2020 से 09.04.2020 तक तथा आगरा, लखनऊ व नोएडा के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 13.04.2020 से 18.04.2020 तक युगल पीठ का गठन किया गया था।

कोरोना वायरस के सक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सम्पूर्ण भारत वर्ष में दिनांक 23.03.2020 से 14.04.2020 तक लॉक डाऊन लागू किये जाने के कारण उपरोक्तानुसार गठित की गयी उक्त युगलपीठों को निरस्त किया जाता है।

तदनुसार संबंधित को सूचित किया जाये।

ह0

अध्यक्ष

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृश्ठांकन संख्या- वा0क0अधि0/यु0पी0नि0/549/ दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

- 1-संबंधित सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण।
- 2-कमिष्जर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3-मुन्सरिम/वरिश्ठ सहायक(यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 4-संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

निबंधक

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।